भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1198

उत्तर देने की तारीख 25 जुलाई, 2022

सोमवार, 03 श्रावण, 1944 (शक)

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना

1198. श्री बिद्युत बरन महतो: **श्री रवि किशन:** **श्री मनोज तिवारी:**
श्री राम कृपाल यादव: **श्री रविन्दर कुशवाहा:** **श्री प्रतापराव जाधव:**
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे: **श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:** **श्री सुब्रत पाठक:**
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक: **श्री सुधीर गुप्ता:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(ख) एनएपीएस की स्थापना से लेकर अब तक कुल कितने प्रशिक्षुओं को उपयुक्त नौकरी पाने का लाभ मिला है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के भाग के रूप में एनएपीएस के तहत छात्रों को देय वृति सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया है/एक पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विभिन्न शिक्षुता सुधारों और कुशल जनशक्ति का निर्माण करके भारत को 'विश्व की कौशल राजधानी' बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) देश में विभिन्न शिक्षुता योजनाओं के माध्यम से छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त प्रस्ताव/पहल से छात्रों को किस प्रकार लाभ मिलेगा?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) अगस्त 2016 में शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) का उद्देश्य देश में प्रशिक्षुओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करके शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, शिक्षुता इकोसिस्टम की क्षमता-निर्माण करना और तेजी से वृद्धि का समर्थन करने के लिए एडवोकेसी सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, एनएपीएस के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

i. कार्य के दौरान अनुभवात्मक प्रशिक्षण को बढ़ावा देकर उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति का विकास करना।

ii. शिक्षुओं को आंशिक वृत्तिका साझा करके शिक्षुओं को नामांकित करने के लिए प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करना।

iii. अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान करना।

iv. छोटे प्रतिष्ठानों (एमएसएमई) और जो महत्वाकांक्षी जिलों तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र जैसे अल्प सेवित क्षेत्रों में स्थित हैं, में शिक्षुओं के नामांकन को प्रोत्साहित करना।

(ख) एनएपीएस के आरंभ से शामिल शिक्षुओं की कुल संख्या लगभग 13.38 लाख है।

(ग) जी हां। प्रतिष्ठान को वृत्तिका की प्रतिपूर्ति (25% या 1,500 रुपये जो भी कम हो) के बजाए, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम (डीबीटी) के अंतर्गत शिक्षुओं के बैंक खाते में राशि अंतरित करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में एक प्रायोगिक प्रत्यक्ष लाभ स्कीम जून, 2022 में संचालित की गई थी, जिसे पूर्ण पैमाने पर बढ़ाया जाएगा।

(घ) से (ङ) शिक्षुता प्रशिक्षण भारत में कुशल जनशक्ति के सृजन के लिए प्रमुख घटकों में से एक है और भारत को 'विश्व की कौशल राजधानी' बनाने में योगदान देता है। 2014 में शिक्षुता अधिनियम, 1961 में और 2019 में नियमावली में संशोधनों तथा एनएपीएस के शुभारंभ सहित विभिन्न सुधार किए गए हैं, ताकि अधिक संख्या में शिक्षुओं को शामिल करने के लिए प्रतिष्ठानों की सुविधा हो सके। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने प्रतिष्ठानों और शिक्षुओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए विभिन्न हितधारकों के परामर्श से पोर्टल और प्रक्रियाओं को सरल बनाने और एनएपीएस दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन सभी के कारण प्रशिक्षुओं की संख्या वर्ष 2020-21 में 2.90 लाख से बढ़कर 2021-22 में 5.8 लाख हो गई है और इस अवधि के दौरान व्यय 120 करोड़ से 217 करोड़ रुपए हो गया है। वर्तमान वर्ष के दौरान शिक्षुओं की संख्या 10 लाख तक पहुंचने की आशा है। इसके लिए, सरकार छात्रों और प्रतिष्ठानों के बीच शिक्षुता के बारे में जागरूकता पैदा करने और युवाओं के लिए शिक्षुता के अवसर पैदा करने हेतु पूरे देश में 250 शिक्षुता जागरूकता कार्यशालाओं और मासिक शिक्षुता मेलों का आयोजन कर रही है।

(च) वर्तमान में, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एनएटीएस) और एमएसडीई द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) नामक दो शिक्षुता स्कीम कार्यान्वयन में हैं। एनएटीएस इंजीनियरिंग स्नातकों, डिप्लोमा धारकों और सामान्य स्ट्रीम स्नातकों के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यान्वित करती है; जबकि एनएपीएस शेष श्रेणी के शिक्षुओं के लिए है। दोनों स्कीमों में तालमेल बिठाने के प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा, यूजीसी ने स्नातकों/स्नातक पूर्व छात्रों के जॉब उन्मुखीकरण और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उद्योग के एक्सपोजर के साथ ज्ञान, कौशल, अभिरूचि और कार्य के दौरान प्रशिक्षण के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षुता/इंटर्नशिप-एम्बेडेड डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। उपर्युक्त सभी स्कीमें और कार्यक्रम उम्मीदवारों को कार्य के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करके कौशल अंतराल को कम करने और उन्हें उद्योग के लिए तैयार करने और रोजगार योग्य बनाने के आशय से उम्मीदवारों के विशिष्ट लक्ष्य समूह पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

****